

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**मार्च, 2025 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 (फाल्गुन 20, 1946)**

**समय 11.00 बजे दिन.**

## 1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) -

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75-क की अपेक्षानुसार F-3-3-0010-2024-Sec-02-पांच(CT)(08), दिनांक 30 सितम्बर, 2024 एवं

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 91 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार F-3-4-0011-2024-Sec-02-पांच(CT)(10), दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तथा

(ग) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (01), दिनांक 10 जनवरी, 2024,
- (ii) क्रमांक CT-8-0005-2023-Sec-1-पांच (CT) (02), दिनांक 12 जनवरी, 2024,
- (iii) क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (05), दिनांक 17 जनवरी, 2024,
- (iv) क्रमांक CT/8-0002-2024-Sec-1-05 (CT) (03), दिनांक 19 जनवरी, 2024,
- (v) क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पांच (04), दिनांक 19 जनवरी, 2024,
- (vi) क्रमांक CT/8-0003-2024-Sec-1-05 (CT) (08), दिनांक 13 मार्च, 2024,
- (vii) क्रमांक CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच (CT) (11), दिनांक 13 मई, 2024,
- (viii) क्रमांक CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT) (12), दिनांक 13 मई, 2024,
- (ix) क्रमांक एफ ए-3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 02 अगस्त, 2024,
- (x) क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच(14), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xi) क्रमांक एफ ए 3-36-2018-1-पांच (15), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xii) क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (16), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xiii) क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच(17), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xiv) क्रमांक CT-8-0006-2024-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xv) क्रमांक CT/8-0007-2024-Sec-1-05 (CT) (19), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
- (xvi) क्रमांक CT-8-0008-2024-Sec-1-पांच (CT) (20), दिनांक 20 सितम्बर, 2024,
- (xvii) क्रमांक CT-8-0007-2024-Sec-1-पांच (CT) (22), दिनांक 04 अक्टूबर, 2024,
- (xviii) क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(23), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
- (xix) क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (24), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
- (xx) क्रमांक एफ ए 3-37/2017/1/पांच (25), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
- (xxi) क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच (26), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
- (xxii) क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (27), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,

- (xxiii) क्रमांक एफ ए 3-11/2021/1/पांच (28), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,  
(xxiv) क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (29), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,  
(xxv) क्रमांक CT/8/0007-2024-Sec-1-05 (CT) (30), दिनांक 20 नवम्बर, 2024 एवं  
(xxvi) क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (31), दिनांक 28 नवम्बर 2024 तथा

(घ) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 70-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक CT/4/2/0001-2024-Sec-1-05 (CT) (06), दिनांक 07 फरवरी, 2024,  
(ii) क्रमांक CT-4/2/0001/2023-Sec-1-05 (CT) (07), दिनांक 13 मार्च, 2024,  
(iii) क्रमांक CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पांच (CT) (09), दिनांक 13 मार्च, 2024 एवं  
(iv) क्रमांक CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (10), दिनांक 13 मार्च, 2024,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

- (i) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा  
(ii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 (अकादमिक वर्ष 30 जून, 2024 को समाप्त) एवं

(ख) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा

(ग) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन एच डी सी लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी, मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र) का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (i) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (माॅयल) की 62 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-2024 एवं  
(ii) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2023-2024 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024) तथा

(ख) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा (29) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

पटल पर रखेंगे.

**3. फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 पटल पर रखा जाना.**

**4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

## 5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

### 6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले में धान उपार्जन में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति, याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् तथा अभ्यावेदनों से संबंधित तैतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, सभापति, प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन एवं कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ तथा पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 8. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम जसवंतनगर में वृक्षारोपण कराये जाने,

(ख) टीकमगढ़ शहर से बल्देवगढ़ नगर तक जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम बड़माडई खास अंतर्गत सिंचाई हेतु मनका हार नाला पर स्टॉप डेम का निर्माण कराये जाने

(2) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के वार्ड क्र.23 कोयडीयाखोदरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) नैनपुर रेल्वे मार्ग बैहर चौकी पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज GT-37 का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) लालबर्गा बस स्टैण्ड से अमोली तक का सी. सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(4) इंजी. हरिबाबू राय, सदस्य, अशोकनगर जिले के -

(क) ग्राम पिपरिया रायु जतौली एवं करैया राय के मध्य गौ अभ्यारण का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम मढी नामदार से झागर तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराए जाने,

(5) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम वामरोल में नहर की पुलिया से हरिजन बस्ती तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम भडयापूरा अंतर्गत नदी पर रिटर्निंगवॉल का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम कराठा जनपद पंचायत नौगांव के मेन रोड से राधा कुशवाहा के मकान तक सी.सी. रोड का निर्माण स्वीकृत कराये जाने,

(7) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत करौला में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री अरविन्द पटैरिया, सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत बमीठा अंतर्गत सी.सी. रोड का निर्माण कार्य कराये जाने,

(9) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य, शिवपुरी जिले की -

(क) ग्राम पंचायत झिरी में डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत ठगोसा रोड से बगीची होते हुए नदौरा तक 03 कि.मी.डामरीकरण सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम पंचायत रायपुर धमकन अंतर्गत नरवर-शिवपुरी रोड से कल्यानपुर पवा पचपेडिया तक सड़क निर्माण एवं स्टॉप डेम स्वीकृत कराये जाने,

(10) श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य, भोपाल जिले के चार इमली स्थित तालाब को स्वच्छ करवाने व गंदे पानी के स्रोतों को बन्द कराये जाने,

- (11) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम धवारी से पठरा रोड तक पक्का मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत वबैया से बरा-सतना पहुंच मार्ग एवं पुल का निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के कोठीघाट के पास भूसडा नाले पर पुल एवं अन्य ग्रामों की नदियों पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (14) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र.23 अंतर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम गोरखपुर (घुंघसा) शास. हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 9. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन.

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि -

“यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा, पं.शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.”.

## 10. वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

## 11. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”.

भोपाल :  
दिनांक : 10 मार्च, 2025

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.